संख्या: 27/2020/972/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी.

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2020**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक: 235/लेखा-बजट/2020-21, दिनांक 09 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त अधिष्ठान, क्षेत्रीय कार्यालय एवं गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढ़ीकरण से सम्बन्धित वेतन भत्ते एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू.21812.54 लाख मतदेय तथा रू. 2.00 लाख भारित अर्थात कुल धनराशि रू.21814.54 लाख (रूपये दो अरब अट्ठारह करोड़ चौदह लाख चौवन हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 16/2020/561/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी. दिनांक 15.04.2020 द्वारा निर्गत कुल धनराशि **रू. 21531.55** लाख (रूपये दो अरब पन्द्रह करोड़ इक्तीस लाख पचपन हजार मात्र) के पश्चात अवशेष धनराशि रू.282.99 के सापेक्ष कुल धनराशि **रू.212.24 लाख (रूपये दो करोड़ बारह लाख चौबीस हजार मात्र)** (धनराशि रू1.5 लाख भारित सहित) इस शासनादेश के संलग्नक में यथा उल्लिखित विभिन्न मानक मदों के लिए अंकित धनराशि के विवरण के अनुसार, व्यय किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या: बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म" के अन्तर्गत, **संलग्नक में अंकित**, संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या: 27/2020/972(1)/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी.तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या: 27/2020/972/46-1-20-1000(16)/2019टी.सी.दिनांक 13 अगस्त, 2020 का संलग्नक

क्रमांक	लेखा शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न मानक मद	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
	2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान		
1	04-यात्रा व्यय	7.00	5.250
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.125
3	07-मानदेय	0.35	0.262
4	08-कार्यालय व्यय	20.00	15.00
5	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00	4.500
6	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	2.250
7	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए	12.00	9.00
8	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	5.00	3.750
9	29-अनुरक्षण	4.00	3.000
10	42-अन्य व्यय (भारित)	**2.00**	**1.50**
11	42-अन्य व्यय (मतदेय)	2.50	1.875
12	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.125
13	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.750
14	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	7.500
15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	10.00	7.500
16	49-चिकित्सा व्यय	15.00	11.250
17	51-वर्दी व्यय	0.88	0.660
	योग: 001/03	**101.73**	**76.297**
क्रमांक	24-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-क्षेत्रीय कार्यालय	प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	04-यात्रा व्यय	4.50	3.375
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	1.500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

3	07-मानदेय	0.25	0.187
4	08-कार्यालय व्यय	2.00	1.500
5	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	1.500
6	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50	1.875
7	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.750
8	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	8.00	6.000
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.60	0.450
10	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.450
11	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	2.250
12	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.750
13	49-चिकित्सा व्यय	2.50	1.875
14	51-वर्दी व्यय	0.13	0.097
	योग: 001/04	**30.08**	**22.559**
क्रमांक	2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसलें 04-गन्ने की खेती के विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना	प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	04-यात्रा व्यय	22.24	16.680
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.26	5.445
3	07-मानदेय	0.68	0.510
4	08-कार्यालय व्यय	12.46	9.345
5	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.30	3.975
6	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7.64	5.730
7	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.35	1.762
8	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	30.00	22.500
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4.00	3.000
10	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	1.500
11	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.70	3.525
12	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.11	4.582
13	49-चिकित्सा व्यय	45.00	33.750

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

14	51-वर्दी व्यय	1.44	1.080
	योग: 108/04	151.18	113.384
	योग: 2401-	282.99	212.240

(कुल दो करोड़ बारह लाख चौबीस हजार मात्र)

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है